बिहार विधान सभा के लिए निवेदन	
श्री जावेद इकबाल अंसारी, स0वि0स0 से दिनांक –12.12.2013 को प्राप्त निवेदन सं0–2388/13 के संबंध में	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
निवेदन	**उत्तर**
मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखण्ड के सभी पंचायतों में लगी फसल वर्ष 2011 की विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका में बर्बाद हो गयी थी । सरकार द्वारा फसल क्षति का आंकलन हो जाने के बावजूद अभी तक वहाँ के किसानों को फसल क्षति के मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है । अतः जनहित में सरकार द्वारा वहाँ के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा शीघ्र देने हेतु मैं सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।	जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक –16 मु0 दिनांक –23.01.2014) के अनुसार वर्ष 2011 में बिस्फी प्रखंड में बाढ़ आई थी, जिसमें इस प्रखंड के कुल 28 ग्राम पंचायतों में से 16 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई थी। जहाँ तक फसल क्षति का प्रश्न है, इस हेतु गठित जाँच दल द्वारा कुल 4986 हेक्टेयर में फसल का क्षति प्रतिवेदित किया गया था । परन्तु कृषकवार लगी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति प्रतिवेदित नहीं है । चूंकि कृषकवार लगी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति प्रतिवेदित नहीं है और न ही किसी किसान का एतद् विषयक दावा प्राप्त है, इसलिए कृषि इनपुट अनुदान का वितरण नहीं हुआ है । कृषि इनपुट अनुदान का वितरण किसानों को उनकी फसल का 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर भुगतान किया जाता है, लेकिन इस मामले में कृषकवार ऐसा प्रतिवेदित नहीं है । अतः वर्तमान समय में कृषि इनपुट अनुदान के वितरण का औचित्य नहीं है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0नि0–03/2014/........................../आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक –101 दिनांक –15.01.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04/वि0स0नि0–03/2014/676/आ0प्र0, पटना–15, दि0– 19/2/14

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

19/2/14

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 2-12-13\Nivedan.docx